

न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, नागौर
पीठासीन अधिकारी-पीयूष समारिया, आई.ए.एस.

प्रार्थना पत्र प्रकरण संख्या-.....18/2023
जी.सी.एम.एस. पोर्टल संख्या- 2023/21...

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थीगण
आई.सी.आई.सी.आई. होम फाईनेन्स कम्पनी लिमिटेड जिसका रजिस्टर्ड कार्यालय आई.सी.आई.सी.आई. बैंक टॉवर, बान्द्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, मुम्बई, महाराष्ट्र 400051 में स्थित व कार्यरत है एवं जिसका एक कार्यालय प्रथम तल, जी. के. टॉवर, प्लॉट नं. 14, सरदुल कॉलोनी, अम्बेडकर सर्किल, बीकानेर, राजस्थान-334001 पर स्थित है, जिसके प्राधिकृत अधिकारी श्री नेमसिंह है।	-	1. हींगलाज दान, पता-शिव कॉलोनी, डेह रोड़, नागौर राजस्थान-341001, पता 2- खसरा नम्बर 85, मौजा अमरपुरा, तहसील व जिला नागौर राजस्थान 341001, पता 3- सोप नम्बर-1, एन एच 65, करणी मार्बल्स एण्ड ग्रेनाइट्स, नागौर, राजस्थान-341001 2. विमल कंवर, पता-शिव कॉलोनी, डेह रोड़, नागौर राजस्थान-341001, पता 2- खसरा नम्बर 85, मौजा अमरपुरा, तहसील व जिला नागौर राजस्थान 341001

आदेश

दिनांक : 01-02-2023

प्रार्थी की ओर से यह प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 14 वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के तहत पेश हुआ, जो दर्ज रजिस्टर किया गया।

वकील प्रार्थी को सुना गया। प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों में यह कथन किया है कि प्रार्थी बैंक ने अप्रार्थी/ऋणी को रूपये 10,23,500/- (अक्षरे दस लाख तेईस हजार पांच रूपये मात्र) ऋण सुविधा दिनांक 16.07.2020 को ऋण उपलब्ध करवाया गया। अप्रार्थीगण/ऋणी द्वारा उक्त प्राप्त ऋण की सुविधा के अवज में सम्पति- श्री हींगलाज दान पुत्र श्री लक्ष्मण सिंह एवं श्रीमती विमल कंवर पत्नी श्री लक्ष्मण सिंह की एक सम्पति फ्लेट नं.-67/बी4 (ब्लॉक नं0-04) द्वितीय तल जो कि खसरा नम्बर 85, मौजा अमरपुरा, तहसील व जिला नागौर राजस्थान पर स्थित है। जिसमें भूमि, भवन एवं ढांचा आदि सभी सम्मिलित है, जो सभी सम्पति के अभिन्न अंग है। जिसका कुल क्षेत्रफल 666.5 वर्गफीट है, उक्त फ्लेट जिस खसरा संख्या-85 पर स्थित है, उसकी चारों सीमाएँ निम्नानुसार है :- उत्तर में-खसरा नम्बर 48, दक्षिण में-रोड़ 100 फीट चौड़ी, पूर्व में-खसरा नम्बर 85, पश्चिम में- खसरा नम्बर 85 जो प्रार्थी बैंक के पास ऋण अदायगी हेतु ऋणी एवं जमानतदार ने आवश्यक दस्तावेज निष्पादित किये।

अप्रार्थीगण/ऋणी ने उपलब्ध ऋण का बैंक के नियमानुसार भुगतान नहीं चुकाया। जिसकी वजह से उक्त खाते को दिनांक 06.07.2021 को एन.पी.ए. घोषित कर दिया गया व अप्रार्थी/ऋणी के ऋण खाते में रूपये 11,21,577/- (अक्षरे ग्यारह लाख इक्कीस हजार पांच सौ सतहत्तर रूपये मात्र) दिनांक 18.04.2022 तक व आगे का ब्याज व खर्च आदि सहित राशि बकाया निकलते है।

उक्त ऋण खाते में ऋणी द्वारा नियमानुसार भुगतान नहीं करने पर एन.पी.ए. घोषित होने के बाद एक्ट की धारा 13 (2) के अन्तर्गत प्रार्थी बैंक ने ऋणी/अप्रार्थी को दिनांक 20.04.2022 को रजिस्टर्ड नोटिस दिये व उक्त नोटिस का दो अखबारों में प्रकाशन करवाया गया, परन्तु इसके पश्चात् भी अप्रार्थीगण द्वारा ऋण राशि जमा नहीं करवायी गई व न बंधक शुदा सम्पति सम्पूर्ण कब्जा प्रार्थी बैंक को दिया गया। ऋणी को उपरोक्त नोटिस के अनुसार 60 दिन के अन्दर-अन्दर ऋण रूपये 11,21,577/- (अक्षरे ग्यारह लाख इक्कीस हजार पांच सौ सतहत्तर रूपये मात्र) दिनांक 18.04.2022 तक व आगे का ब्याज व खर्च आदि सहित राशि को जमा कराना था, परन्तु ऋणी/अप्रार्थीगण ने उपरोक्त नोटिस के अनुसार ऋण राशि जमा नहीं करवाई, के कारण एक्ट की धारा 13 (4) के अन्तर्गत कार्यवाही करना आवश्यक हो गया है।

एक्ट की धारा 14 (1) के अन्तर्गत प्रार्थी बैंक को बंधक सम्पति का ऋणी एवं जमानतियों से कब्जा लेने में सहायता आवश्यकता है, के कारण प्रार्थी बैंक ने जिला मजिस्ट्रेट के समक्ष बैंक सिक्योरिटीज एवं सिक्योरिटीज से संबंधित डोक्यूमेन्ट का ऋणी/जमानती से कब्जा लेकर प्रार्थी बैंक को कब्जा दिलवाने के लिये प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है।



जिला मजिस्ट्रेट
नागौर

बैंक सिक्वोरिटीज सम्पत्ति का विवरण सम्पत्ति- श्री हिंगलाज दान पुत्र श्री लक्ष्मण सिंह एवं श्रीमती विमल कंवर पत्नी श्री लक्ष्मण सिंह की एक सम्पत्ति फ्लेट नं.-67/बी4 (ब्लॉक नं0-04) द्वितीय तल-जो कि खसरा नम्बर 85, मौजा अमरपुरा, तहसील व जिला नागौर राजस्थान पर स्थित है। जिसमें भूमि, भवन एवं ढांचा आदि सभी सम्मिलित है, जो सभी सम्पत्ति के अभिन्न अंग है। जिसका कुल क्षेत्रफल 666.5 वर्गफीट है, उक्त फ्लेट जिस खसरा संख्या-85 पर स्थित है, उसकी चारों सीमाएँ निम्नानुसार है :- उत्तर में-खसरा नम्बर 48, दक्षिण में-रोड़ 100 फीट चौड़ी, पूर्व में- खसरा नम्बर 85, पश्चिम में- खसरा नम्बर 85, का कब्जा लेना है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर प्रार्थना पत्र में वर्णित सम्पत्ति का कब्जा संबंधित डौक्यूमेन्ट्स का कब्जा एक्ट की धारा 14 के अनुसार ऋणी/अप्रार्थीगण से प्रार्थी बैंक को कब्जा दिलाने का आदेश जारी करने हेतु निवेदन किया है।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि ऋणी/अप्रार्थीगण ने प्रार्थी बैंक से 10,23,500/- (अक्षरे दस लाख तेईस हजार पांच रुपये मात्र) ऋण सुविधा दिनांक 16.07.2020 को प्राप्त की थी। उक्त ऋण के बदले में इकरारनामा व उससे संबंधित दस्तावेज तैयार कर अपने हस्ताक्षर से प्रार्थी बैंक के पक्ष में निष्पादित किये थे। प्रार्थी बैंक द्वारा नियमानुसार ऋण वसूली के लिये आडिनेन्स की धारा 13 (2) के अन्तर्गत नोटिस जारी करना पाया जाता है।

वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 में उपरोक्तानुसार रहन की गयी सम्पत्ति को प्रार्थी के कब्जे में दिलाये जाने का स्पष्ट प्रावधान है। जो इस प्रकार है:- प्रतिभूति आस्थी का कब्जा लेने में प्रतिभूति लेनदार की सहायता करने के लिये मुख्य महानगरीय मजिस्ट्रेट या जिला मजिस्ट्रेट जहां किसी प्रतिभूति आस्तियों का कब्जा प्रतिभूत लेनदार द्वारा लिये जाने की आवश्यकता हो, या यदि किन्ही प्रतिभूत आस्तियों का विक्रय या अन्तरण प्रतिभूत लेनदार द्वारा इस अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत किये जाने की आवश्यकता हो, तो प्रतिभूत लेनदार किसी प्रतिभूत आस्ति के कब्जे या निर्यत्रण को लेने के प्रयोजन के लिये, लिखित में मुख्य महानगरीय मजिस्ट्रेट या जिला मजिस्ट्रेट को उनकी अधिकारिता के भीतर अनुरोध करेगा, ऐसी कोई प्रतिभूत आस्ति या उससे संबंधित अन्य दस्तावेज स्थित हो सकेगा या पाया जा सकेगा, उसका कब्जा लेने के लिये अनुरोध करेगा, और मुख्य महानगरीय मजिस्ट्रेट या जिला मजिस्ट्रेट जो स्थित हो, उसको किये गये उस अनुरोध पर -(क) उस आस्ति और उससे संबंधित दस्तावेजों का कब्जा लेना, और (ख) प्रतिभूत लेनदार को उन आस्तियों और दस्तावेजों को भेजेगा।

धारा 14 (2) उप धारा (1) के प्रावधानों के साथ अनुपालना को सुनिश्चित करने के प्रयोजन के लिये, मुख्य महानगरीय मजिस्ट्रेट या जिला मजिस्ट्रेट उन कदमों को लेगा या लिवा सकेगा या ऐसा बल प्रयुक्त कर सकेगा जो उसकी राय में आवश्यक हो सकेगा।

उपरोक्त प्रावधानों को दृष्टीगत रखते हुए इस संबंध में पुलिस इमदाद उपलब्ध कराने हेतु आदेश पारित किया जाना हम उचित समझते हैं। अतः प्रार्थी का यह प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। पुलिस अधीक्षक नागौर को निर्देश दिये जाते हैं कि अप्रार्थी/ऋणी द्वारा प्रार्थी बैंक के पक्ष में बतौर प्रतिभूति अपने स्वामित्व में सम्पत्ति- श्री हिंगलाज दान पुत्र श्री लक्ष्मण सिंह एवं श्रीमती विमल कंवर पत्नी श्री लक्ष्मण सिंह की एक सम्पत्ति फ्लेट नं.-67/बी4 (ब्लॉक नं0-04) द्वितीय तल जो कि खसरा नम्बर 85, मौजा अमरपुरा, तहसील व जिला नागौर राजस्थान पर स्थित है। जिसमें भूमि, भवन एवं ढांचा आदि सभी सम्मिलित है, जो सभी सम्पत्ति के अभिन्न अंग है। जिसका कुल क्षेत्रफल 666.5 वर्गफीट है, उक्त फ्लेट जिस खसरा संख्या-85 पर स्थित है, उसकी चारों सीमाएँ निम्नानुसार है :- उत्तर में-खसरा नम्बर 48, दक्षिण में-रोड़ 100 फीट चौड़ी, पूर्व में- खसरा नम्बर 85, पश्चिम में- खसरा नम्बर 85, जो प्रार्थी बैंक के पास हाईपोथीकेटेड है, को प्रार्थी बैंक के हक में बंधक किया था तथा बंधक विलेख निष्पादित किया था, के संबंध में संबंधित थानाधिकारी, पुलिस थाना को निर्देशित करे कि वे उक्त सम्पत्ति का कब्जा व उससे संबंधित अन्य कोई दस्तावेज अप्रार्थी के कब्जे में हो तो उन दस्तावेजों को प्रार्थी को संभलाने हेतु मौके पर जाकर विधि सम्मत कार्यवाही करें।

आदेश सुनाया गया।



पीयूष समारिया)
जिला कलक्टर एवं मजिस्ट्रेट, नागौर
जिला मजिस्ट्रेट
नागौर